

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./5/ए/2008/5570
प्रति,

भोपाल, दिनांक - 25/8/09

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला उज्जैन, देवास, श्योपुर, सिवनी, भिण्ड एवं ग्वालियर,
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन के आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर
कार्रवाई उपरांत कमीपूर्ति के संबंध में


—0—

अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का मध्यप्रदेश शासन, सकूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के अंतर्गत परीक्षण उपरांत आपके जिले के निम्न तालिका में अंकित आवेदन के सामने कॉलम-5 में उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की कमियां पाई गई है। ऐसे आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	शिक्षा कर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम	सं.शा.शि. 1,2,3 से अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संवि. का आदेश संलग्न है या नहीं	रिमार्क
	1	2	3	4	5
1	श्रीमती अर्चना नागर सं.शाला शिक्षक - 3 शास.प्रा.वि.साकरिया महिदपुर जिला उज्जैन	निरंक	निरंक	निरंक	संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है नियमों में स्थानान्तरण का प्रावधान नहीं है
2	श्रीमती मंजू आर्य अध्यापक शास. मा.वि. दुबडी जिला श्योपुर	जनपद पंचायत श्योपुर जिला श्योपुर जा.क्रं. 5004 दिं. 5.2.09	जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर जा.क्रं. 435 दिं. 11.2.09 शास.मा.शाला मुखत्यारपुरा	नियुक्ति आदेश संलग्न है	दोनों जिला पंचायत की अनापत्ति संलग्न नहीं है
3	श्री विनोद कुमार गोथिया सहायक अध्यापक शास.मा.शाला बीजलगांव जिला देवास	निरंक	निरंक	निरंक	वर्तमान में जारी अध्यापक संवर्ग की संविलियन नीति में प्राप्त निर्देशों के क्रम में पुरुष अभ्यर्थी को प्राप्ति नहीं होने के कारण प्रकरण अमान्य किया जाता है
4	श्रीमती प्रवीण पाराशर संविदा शाला शिक्षक-2 शास.उमावि,पंढिया छपारा जिला सिवनी	निरंक	निरंक	निरंक	संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है नियमों में स्थानान्तरण का प्रावधान नहीं है

5	श्री मलखान सिंह कौरव सहायक अध्यापक शास.मा.वि. सकराया अटेर जिला भिण्ड	निरंक	निरंक	निरंक	वर्तमान में जारी अध्यापक संवर्ग की संविलियन नीति में प्राप्त निर्देशों के क्रम में पुरुष अभ्यर्थी को पात्रता नहीं होने के कारण प्रकरण अमान्य किया जाता है
6	श्रीमती मिथलेश जाटव संविदा शाला शिक्षक-3 शास.प्रा.वि. मोहम्मदपुर जिला खालियर	निरंक	निरंक	निरंक	संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है नियमों में स्थानान्तरण का प्रावधान नहीं है

अतः उक्त तालिका में अंकित आवेदकों के द्वारा तालिका के कॉलम-5 के अनुसार वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाते हैं तो (अमान्य) को छोड़कर उनके द्वारा चाहे गये अंतर्जिला संविलियन की अनुमति पर विचार किया जा सकेगा। तालिका में दर्शित जिन आवेदकों का संचालनालय द्वारा पूर्व में आदेश जारी हो चुका है उनके द्वारा कमीपूर्ति हेतु पुनः आवेदन/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।


 कृते: संचालक लोक शिक्षण
 मध्यप्रदेश
 भोपाल, दिनांक - 25/8/09

पृष्ठा.क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./ए/05/09/557/
 प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक,संभागीय कार्यालय,लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उक्त तालिका अनुसार आपके जिले से संबंधित आवेदकों को तालिका के कॉलम-5 की स्थिति से अवगत कराएं।
4. संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।
5. कम्प्यूटर समन्वयक स्थानीय की ओर आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।


 कृते: संचालक लोक शिक्षण
 मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./28/ए/2009/340
प्रति,

भोपाल, दिनांक

24/8/09

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला श्योपुर, छतरपुर एवं राजगढ़
मध्यप्रदेश

विषय:-अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन के आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई उपरांत कमीपूर्ति के संबंध में।

—0—

अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का मध्यप्रदेश शासन, सकूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के अंतर्गत परीक्षण उपरांत आपके जिले के निम्न तालिका में अंकित आवेदन के सामने कॉलम-5 में उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की कमियां पाई गई हैं। ऐसे आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	शिक्षा कर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम	सं.शा.शि. 1,2,3 से अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संवि. का आदेश संलग्न है या नहीं	रिमार्क
	1	2	3	4	5
1	श्रीमती अनीता तोमर अध्यापक शा.मा.वि. रीधी जिला श्योपुर	निरंक	नगर पालिका परिषद पोरसा जिला मुरैना जा.क्र. 1813 दि. 07.08.09 शा.मा.वि. धनेरा	नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न है।	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ जिला पंचायत द्वारा जारी कार्यरत निकाय की अनापत्ति संलग्न नहीं की गई है।
2	श्रीमती माधुरी चौरसिया अध्यापक शा.मा.शा. छतरपुर जिला छतरपुर	जिला पंचायत छतरपुर जिला छतरपुर जा.क्र. 2591 दि. 02.07. 09	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र. 2855 दि. 14.07.09 शा.हाईस्कूल पोलाहा	संलग्न है किन्तु अपूर्ण है।	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की स्पष्ट एवं पूर्ण प्रति संलग्न नहीं की गई है।
3	श्रीमती डिम्पल तोमर अध्यापक शा.मा.वि. गांधीग्राम जिला राजगढ़	जिला पंचायत राजगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र. 369 दि. 13.07.09	जिला पंचायत गुना जिला गुना जा.क्र. 2995 दि. 01.08.09	नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न है।	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ संविलियन निकाय द्वारा जारी अनापत्ति में शाला का नाम अंकित नहीं है।

अतः उक्त तालिका में अंकित आवेदकों के द्वारा तालिका के कॉलम-5 के अनुसार वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाते हैं तो (अमान्य) को छोड़कर उनके द्वारा चाहे गये अंतर्जिला संविलियन की अनुमति पर विचार किया जा सकेगा। तालिका में दर्शित जिन आवेदकों का संचालनालय द्वारा पूर्व में आदेश जारी हो चुका है उनके द्वारा कमीपूर्ति हेतु पुनः आवेदन/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

कृते: संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उक्त तालिका अनुसार आपके जिले से संबंधित आवेदकों को तालिका के कॉलम-5 की स्थिति से अवगत कराएं।
4. संबंधित आवेदक को ओर सूचनार्थ।
5. कम्प्यूटर समन्वयक स्थानीय की ओर आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।


कृते: संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./ए/17/09 552
प्रति,


भोपाल दिनांक 25/8/19

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत भोपाल,
जिला भोपाल.

विषय:- आवेदिका श्रीमती पुष्पा शर्मा अध्यापक (विज्ञान) को अन्तर्जिला संविलियन के सम्बन्ध में ।
संदर्भ :- संचालनालय के आदेश क्र/शि.क./ए/संवि./14/2001/504 दिनांक - 20.8.09

विषयान्तर्गत आवेदिका का आवेदन आज दिनांक 25.8.09 को विभागाध्यक्ष स्तर पर आयोजित जनसुनवाई के दौरान प्राप्त हुआ है । आवेदिका को संदर्भित आदेश के द्वारा जिला पंचायत भोपाल के अन्तर्गत संविलियन की अनुमति दी गई है।

अतः उक्त आदेश का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।



संयुक्त संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ./क्रमांक/शि.क./ए/17/09 553
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 25/8/19

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 2- प्रभारी अधिकारी जनसुनवाई प्रकोष्ठ लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
- 3- संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


संयुक्त संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश